संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/1525 भोपाल, दिनांक 2/9/2020

:: आदेश ::–

संचालनालय के आदेश क्र.01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/679–ए दिनांक 29.05.2020 द्वारा डॉ. राजेन्द्र अहिरवार प्रभारी उप संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ किया गया था ।

संचालनालय आदेश दिनांक 29.05.2020 द्वारा संबंधित का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ किया गया, जिसके विरूद्ध डॉ.अहिरवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरण निरस्त/संशोधन कर आयुष्मान कार्यालय अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,भोपाल के अधीन पदस्थ करने हेतु निवेदन किया, जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए एवं आवेदक की पी.जी.योग्यता की उपयोगिता फिल्ड में अधीक होने से डॉ. अहिरवार की संशोधित पदस्थापना प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद,भोपाल की गई ।

उक्त दोनों आदेश के विरूद्ध संबंधित द्वारा मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 997/2020 दर्ज की गई जिसमें दिनांक 27.07.2020 को मान.न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया–"**Considering the aforesaid, this petition is disposed of with liberty to the petitioner to file a fresh repesentation before the respondents no. 01 and 2, who in turn, are directed to consider and decide the same, as per law from the date of receipt/production of certified copy of the order passed today.**

As an interim measure, it is directed that the effect and operation of the impugned order date 29-05-2020 and date 04-07-2020 shall remain stayed till the representation is decided."

मान. न्यायालय निर्णय के पालन में संबंधित के अभ्यावेदन का 02 सप्ताह में निराकरण किया जाना था किन्तु संबंधित द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु डॉ. अहिरवार द्वारा कार्यालय स्थापना में दिनांक 29.07.2020 को उपस्थिति प्रस्तुत की गई । डॉ. अहिरवार को समक्ष में निर्देशित करने पर उनके द्वारा दिनांक 20.08.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

डॉ. राजेन्द्र अहिरवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में निवेदन किया है कि उनके द्वारा पी.जी.कम्यूनिटी मेडिसिन में की है, संचालनालय में पदस्थापना के 10 माह की अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है, जबकि संचालनालय में उप संचालक की पदपूर्ति हेतु आवेदन पत्र चाहे है, पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य किया जा रहा था, कोविड–19 ड्यूटी भी इंदौर में की गई, टीकमगढ स्थानांतरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था संचालनालय आदेश दिनांक 04.07.2020 द्वारा आदेश संशोधन कर जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजीराबाद,भोपाल किया गया है। परिवार भोपाल में निवासरत होकर बच्चे भोपाल शहर में अध्ययनरत है, पी.जी.कम्यूनिटी मेडिसिन में की है इसलिए पारिवारिक कारणों एवं योग्यता के दृष्टिगत संचालनालय में यथावत पदस्थ किया जावे, निवेदन किया गया।

अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया । आवेदन में अंकित अनुसार इस बिन्दु से सहमत नहीं है कि "संचालनालय में उप संचालक की आवश्यकता होने पर पदस्थापना करने हेतु आदेश क्र.1071 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के आवेदन चाहे गये है" जबकि पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा संचालनालय में कार्य करने के इच्छुक चिकित्सकों की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया है न कि उप संचालक के पदों की पूर्ती हेतु । एवं वर्तमान में संचालनालय में उप संचालक का कोई पद रिक्त नहीं है । आवेदक के निवेदन पर ही टीकमगढ़ किया गया स्थानांतरण संशोधन कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,भोपाल के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,नजीराबाद,भोपाल पदस्थापना की गई है ।

2/9/2020

निरंतर....2/

वर्तमान में कोविड–19 एवं शासन की योजनाओं के बेहतर कियान्वयन हेतु एम.डी.कम्यूनिटी मेडिसिन की आवश्यकता फील्ड स्तर पर अधिक होती है संबंधित की एम.डी.कम्यूनिटी मेडिसिन योग्यता अनुरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,भोपाल के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,नजीराबाद,भोपाल पदस्थापना की गई ।

उपरोक्तानुसार मान.उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.07.2020 के परिपालन में संबंधित से प्राप्त अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर परीक्षणोपरांत डॉ. राजेन्द्र कुमार अहिरवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किया जाता है ।

''स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

2/9/2020

(सपना एम.लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2020/1526 भोपाल, दिनांक 2/9/2020

प्रतिलिपः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. अपर प्रमुख सचिव/ म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल,म0प्र0।
03. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश,म0प्र ।
04. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर/भोपाल संभाग म0प्र0।
05. अपर संचालक (प्रशासन/लीगल) स्थानीय कार्यालय की ओर मान. न्यायालय प्रकरण के संदर्भ में।
06. उप संचालक कार्यालय स्थापना शाखा स्थानीय कार्यालय ।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला–भोपाल/टीकमगढ़ म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला– भोपाल/टीकमगढ़ म.प्र. ।
09. जिला कोषालय अधिकारी जिला– भोपाल/टीकमगढ़ म0प्र0।
10. संबंधित डॉ.राजेन्द्र अहिरवार की ओर तत्काल पालनार्थ द्वारा– उप संचालक कार्यालय स्थापना शाखा स्थानीय कार्यालय म0प्र0।
11. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।

2/9/2020

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0